राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020–21/अलेसे–II/ 1621 दिनांक:– 18/03/2021

आदेश संख्या ...47../2020–21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2000–01) की सिफारिशों के आधार पर श्री बंशीधर जाट कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 495/81) जन्म तिथि 01.07.1957 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध एसीबी प्रकरण 260/99 विचाराधीन होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री बंशीधर जाट कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित एसीबी प्रकरण 260/99 में माननीय सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा दोषी सिद्ध ठहराया जाकर कठोर कारावास एवं रू 1000/– के दण्ड से दण्डित किया गया। श्री जाट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस बी क्रिमिनल अपिल संख्या 489/2006 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश दिनांक 05.05.2006 को रद्द करते हुए आरोप मुक्त करने एवं विभागीय आदेश संख्या एफ 4 (ई) बी–495/81/अलेसे– III/12 दिनांक 10.01.2018 द्वारा श्री जाट की निलम्बन अवधि एवं बर्खास्तगी की अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन परिलाभों हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 5500–9000 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री बंशीधर जाट (मेरिट नं. 495/81) की वरिष्ठता श्री कन्हैया लाल शर्मा (मेरिट नं. 493/81) एवं श्री जगदीश नारायण गुप्ता (मेरिट नं. 496/81) के मध्य रहेगी।

श्री बंशीधर जाट को दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत हो जाने के कारण सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की प्रभावी तिथि से सेवानिवृति तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020–21/अलेसे–II/ 1621 दिनांक:– 18/3/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री...सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय...।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order